

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 40/2016 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

- बनाम
1. श्री गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया विक्रेता मैसर्स एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दाथल, जिला भीलवाड़ा स्थाई पता - ए-43 श्री गेस्ट हाउस के पीछे, संजय कॉलोनी भीलवाड़ा।
 2. श्रीमति सुविधा पानगडिया पत्नि श्री गौतम पानगडिया मालिक मैसर्स- एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दाथल, जिला भीलवाड़ा स्थाई पता - ए-43 श्री गेस्ट हाउस के पीछे, संजय कॉलोनी भीलवाड़ा।

- प्रार्थी

-विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित-

- 1 श्री संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाड़ा
- 2 विपक्षी अनुपस्थित

दिनांक 30.06.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया विक्रेता मैसर्स एस.एस. एग्जिम जित्या खेडी, पो.- दाथल, जिला भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत 1-1 किलो धनिया पाउडर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम की 40 पैकेट पैक अवस्था में रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखन पर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम धनिया पाउडर Batch No. 51, Net Weight 1 Kg, Mfg. Date 20-03-2016, Best Befor 8 Months From Date of Packing., Mfg.& PKR By M/s S.S Exi, Jitiya Khedi Danthal, Distt. Bhilwara Raj. इत्यादि अंकित था। धनिया पाउडर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम मे मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फोर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार धनिया पाउडर ब्राण्ड

एस.एस. एग्जिम का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2016 को समय 04:10 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौरानें गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दांथल, जिला भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय निर्माण ईकाई पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया विक्रेता उम्र 43 वर्ष, जाति पानगडिया निवासी ए-43 श्री गेस्ट हाउस के पीछे, संजय कॉलोनी भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु मिर्च पाउडर, लाल धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर इत्यादि का निर्माण कर आम जनता को विक्रय कर रहा था। विक्रेता से खाद्य लाईसेन्स की प्रति मांगी गई, जिसे विक्रेता द्वारा मौके पर पेश किया गया।

मैसर्स एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दांथल, जिला भीलवाडा का विक्रेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत 1-1 किलो धनिया पाउडर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम की 40 पैकेट पैक अवस्था में रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखन पर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम धनिया पाउडर Batch No. 51, Net Weight 1 Kg, Mfg. Date 20-03-2016 Best Befor 8 Months From Date of Packing., Mfg.& PKR By M/s S.S Exi, Jitiya Khedi Danthal, Distt. Bhilwara Raj. इत्यादि अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एकट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म VA में दी एवं रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स-88 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स-88 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया । नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैंने व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता श्री गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को

कहा गया । जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपड़ी किया था, उसका मोनोग्राम मौके पर फर्द पर अंकित किया गया । साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता को, लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकैटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./160/एक्ट/2016/209 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना संख्या एक्स-88 धनिया पाउडर ब्राण्ड एस. एस. एग्जिम मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है, कि विपक्षी संख्या 1 गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया विक्रेता मैसर्स एसएस एग्जिम जित्या खेडी पो. दांथल जिला भीलवाडा, व विपक्षी सं. 2 द्वारा मिसब्राण्डेड धनिया पाउडर ब्राण्ड- एसएस एग्जिम का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित हैं। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 14.07.2016 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 25.07.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 29.08.2016 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से दिनांक 27.06.2017 को विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना धनिया पाउडर ब्राण्ड-एसएस एग्जिम मिसब्राण्डेड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड-एसएस एग्जिम के लेबल पर अंकित होने वाली बेस्ट बीफोर का अंकन अग्रेंजी वर्ण माला के केप्टिल अक्षरो में लिखा जाना चाहिए एवं विक्रेता/निर्मिता फर्म ने बेस्ट बीफोर का अंकन **Food Safety and Standarded (Packaging & labeling) Regulation, 2011** के **रूल्स 2.2.2.(10)** का उल्लंघन किया है। इसलिए लिया गया नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षीगणों द्वारा मिसब्राण्डेड धनिया पाउडर ब्राण्ड एसएस एग्जिम का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षियों के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया ,

किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विभागीय पैरोकार की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./160/एक्ट/2016/209 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना संख्या एक्स-88 धनिया पाउडर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम मिस ब्राण्डेड होना पाया गया । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड-एसएस एग्जिम के लेबल पर अंकित होने वाली बेस्ट बीफोर का अंकन अग्रेंजी वर्ण माला के केप्टिल अक्षरो में लिखा जाना चाहिए एवं विक्रेता/निर्मिता फर्म ने बेस्ट बीफोर का अंकन **Food Safety and Standarded (Packaging & labeling) Regulation, 2011** के रूल्स 2.2.2.(10) का उल्लंघन किया है । इसलिए लिया गया नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षीगणों द्वारा मिसब्राण्डेड धनिया पाउडर ब्राण्ड एसएस एग्जिम का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है । जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है । उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगण संख्या 1 एवं 2 द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 01 व 02 पर संयुक्त रूप से 15,000/-रुपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) शास्ति आरोपित की जाती है । विपक्षीगण संख्या 1 एवं 2 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें ।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(एल0आर0गुगरवाल) 30/6/17
न्याय निर्णय अधिकारी एवं जस्ट्रेट
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
- 3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
- 4 श्री गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया विक्रेता मैसर्स एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दाथल, जिला भीलवाडा स्थाई पता - ए-43 श्री गेस्ट हाउस के पीछे, संजय कॉलोनी भीलवाडा ।
- 5 श्रीमति सुविधा पानगडिया पत्नि श्री गौतम पानगडिया मालिक मैसर्स- एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दाथल, जिला भीलवाडा स्थाई पता - ए-43 श्री गेस्ट हाउस के पीछे, संजय कॉलोनी भीलवाडा ।

(एल0आर0गुगरवाल) 30/6/17
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
भीलवाडा (राज.)